



नगर निगम, जयपुर

(उपायुक्त सिविल लाईन जोन)

क्रमांक :- एफ 56 () सि.ला.जोन/ननिज/2017/2995

दिनांक:- 6.12.17

श्री बृजमोहन शर्मा एवं राजेश शर्मा
बी-92, गोपाल बाडी, अजमेर रोड,
जयपुर।

विषय :- भू. सं. बी 92, गोपाल बाडी, अजमेर रोड, जयपुर पर प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन बाबत।

श्रीमान उपायुक्त सिविल लाईन जोन महोदय की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 15.09.2017 के संदर्भ में कमेटी द्वारा प्रकरण पर अनुमोदन पश्चात् आवासीय भवन निर्माण आवासीय भवन निर्माण एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार बी + एस+ 9 तल (कुल ऊँचाई 30.00 मी०) आवासीय भवन निर्माण मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित कर जारी किये जाते हैं:-

1. उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 एवं संशोधित विनियम 2012 के तहत जारी की गई है।
2. भवन विनियम, 2010 के नियम 14.10 अनुसार उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से सात वर्ष के लिए मान्य होगी।
3. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :-

(1)	(2)
सैट बैक (न्यूनतम)	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	12.19 मी.
साईड प्रथम	6.10 मी
साईड द्वितीय	6.10 मी
पीछे	6.10 मी
ऊँचाई	30.00 मी (स्टिल्ट सहित)
मंजिल	बी+एस+ 9तल
आच्छादन	41.84 %
एफ.ए.आर	3.22

4. एम्पावर्ड कमेटी के निर्णयानुसार प्रार्थी गोपालबाडी स्कीम की मूलभूत सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगा और दरवाजे मुख्य सड़क अजमेर रोड की ओर खुलेंगे।
5. नगर निगम जयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए जयपुर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
6. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी। अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न निर्माण करने पर अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जावेगा व किया गया या समस्त निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में गिना जावेगा।
7. भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग से भिन्न होने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
8. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा। नगर निगम, जयपुर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
9. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास सेवायें हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
10. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।

11. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
12. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगे।
13. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
14. अग्निशमन के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर भवन में मौके पर प्रदान करने होंगे। अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
15. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
16. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर जयपुर नगर निगम बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर जयपुर नगर निगम हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेंगे।
17. प्रार्थी अनुमोदित मानचित्रों व नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये लोगो की प्रति निर्माण स्थल पर बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित करेगा। साथ ही वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित करेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित प्रदर्शित (डिस्प्ले) नहीं है तो संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से रूकवा दिया जावे।
18. भवन मालिक द्वारा भवन की सिक्यूरिटी, अग्नि सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) तैयार करवाया जाना आवश्यक होगा।
19. भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी मौके पर प्रदर्शित (Display) करवाया जाना आवश्यक होगा।
20. भवन मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह भवन का निर्माण प्रारंभ होने पर बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) मौके पर उपलब्ध करवायेगा। मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति से सम्पर्क हेतु उसका सम्पर्क दूरभाष नम्बर बोर्ड पर साईड पर उलब्ध करवाया जायेगा एवं सम्बन्धित दूरभाष नम्बर सम्बन्धित थाने में भी उपलब्ध करवाया जावेगा, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूपसे किया जा सके।
21. प्रार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की सभी शर्तों की पालना की जावेगी।
22. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/ 05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।

दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

संलग्न:- भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 05 मानचित्र)


उपायुक्त (सिविल लाईन जोन)
सिविल नगर निगम, जयपुर
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ-

1. उपायुक्त, (सतर्कता) नगर निगम, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करे कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।
2. उपायुक्त, (आयोजना प्रथम) नगर निगम, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करे कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।

संलग्न :- भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 05 मानचित्र)

उपायुक्त (सिविल लाईन जोन)
नगर निगम, जयपुर

केवल आवासिय उपयोग हेतु स्वीकृत

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भौतिक प्रयोग के प्रति स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वाधिकार सन्तुष्टि अधिकार को प्रभावित होगा।

जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का वास्तविक प्रार्थी का ही होगा।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the meeting dt.....

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Fire N. O. C. issued Wide letter No. 374.....dt. 01.12.17

Fire N. O. C. issued Wide letter No.dt. 10.02.2017

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

निम्न में नैवा, नलकारी एवं नल, नल निकाल से राए, निम्न में निम्न, कोष बाँक इण्डिया के उपबंधों के अनुसर होयों।

सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

वीर उर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।



R. Shaw

Signature

Stamp

Stamp

Stamp

PLOT NO. A-91

37.44

TRANSFORMER / DG
12.72 SQ.MT

PROJECTION LINE
SET BACK LINE

BASEMENT LINE

PROPOSED Residential Flats Plan @
PLOT NO. B-92A & B92 PART(B-92) IN
GOPALBADI SCHEME, AJMER ROAD, JAIPUR

FIRESCAPE STAIR

34.39

43'-6" WIDE GOPALBARI

नोट - गोपालबारी स्कीम की
मूलभूत सुविधाओं का
अपयोग नहीं करेगा और
इसके मुख्य संकट की
ओर ध्यान दे। (अपवाद रहे)

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्र. 2995
दि 6/12/2017 के द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

उपायुक्त
सिविल लाइन
नगर निगम जयपुर

AREA STATEMENT

S.NO.	FLOOR NAME	BUILT UP AREA (SQ.MT.)	F.A.R. (SQ.MT.)	GROSS BUILT UP (SQ.MT.)	CORRIDOR (SQ.MT.)	STORE (SQ.MT.)	SERVICE (SQ.MT.)	CLUB (SQ.MT.)
1	BASEMENT FLOOR	971.36 sq.mt.	NIL	971.36 sq.mt.	6.49 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
2	STILT FLOOR	556.08 sq.mt.	132.26 sq.mt.	632.97 sq.mt.	74.14 sq.mt.	NIL	12.72 sq.mt.	NIL
3	FIRST FLOOR	620.5 sq.mt.	505.08 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
4	SECOND FLOOR	620.5 sq.mt.	505.08 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
5	3rd. FLOOR	620.5 sq.mt.	505.08 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
6	4th. FLOOR	620.5 sq.mt.	505.08 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
7	5th. FLOOR	620.5 sq.mt.	505.08 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
8	6th. FLOOR	620.5 sq.mt.	505.08 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
9	7th. FLOOR	620.5 sq.mt.	505.08 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
10	8th. FLOOR	620.5 sq.mt.	505.08 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
11	9th. FLOOR	620.5 sq.mt.	445.24 sq.mt.	632.97 sq.mt.	84.96 sq.mt.	NIL	NIL	59.84
22	TERRACE	60.78 sq.mt.	NIL	60.78 sq.mt.	6.49 sq.mt.	NIL	NIL	NIL
23	TOTAL	7172.72	4618.14	7361.84	851.76	NIL	12.72	59.84

EXCEEDING CORRIDOR FAR = 851.76 - 692.72 = 159.04 sqm

SO TOTAL FAR = (4618.14+159.04) = 4777.18 sqm

SITE PLAN

SURRENDER AREA FOR ROAD WIDENING
134.61 Sq.Ft.

40.08
AJMER ROAD
120 FT. ROAD

R25'

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

RAILING

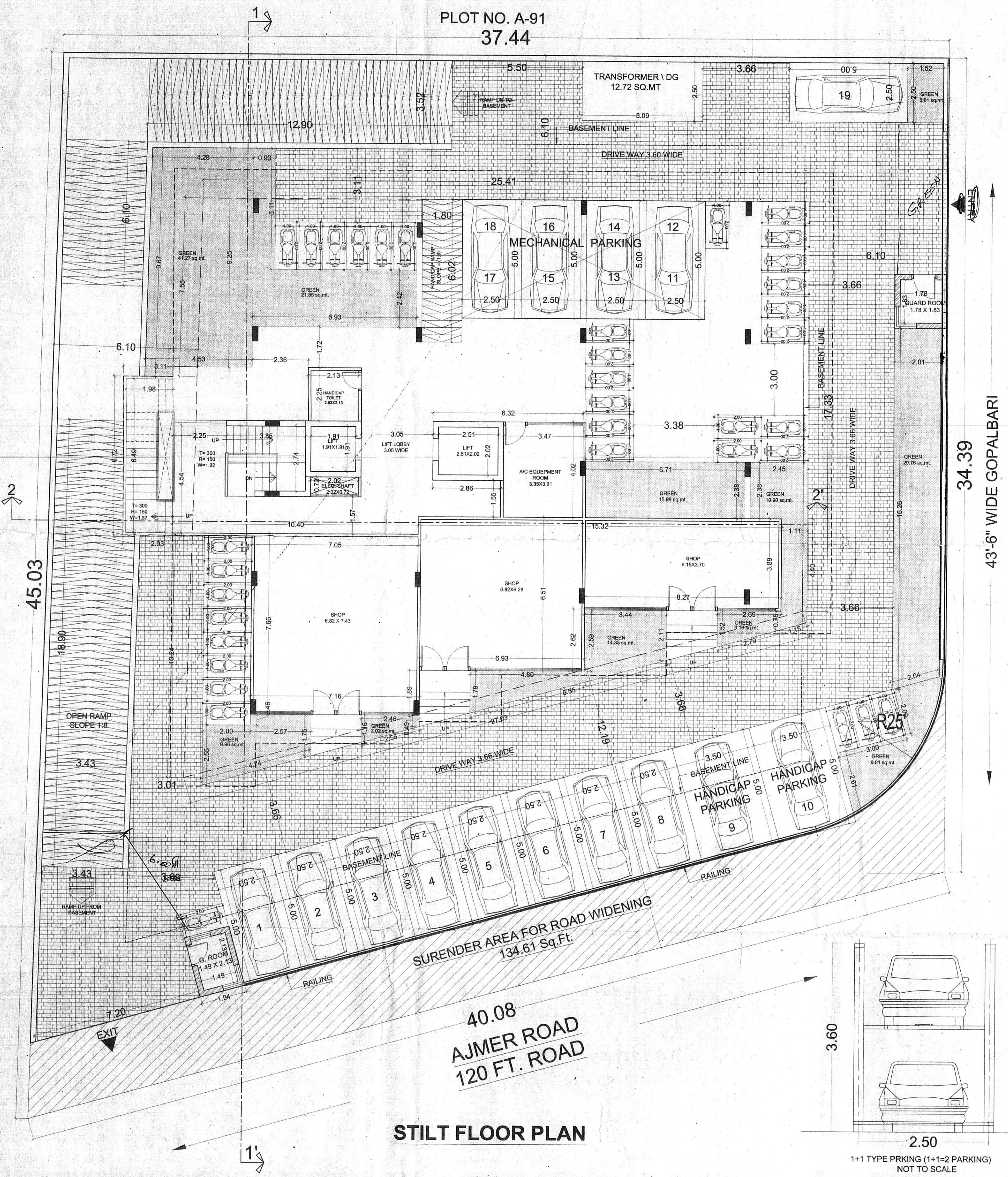
RAILING

RAILING

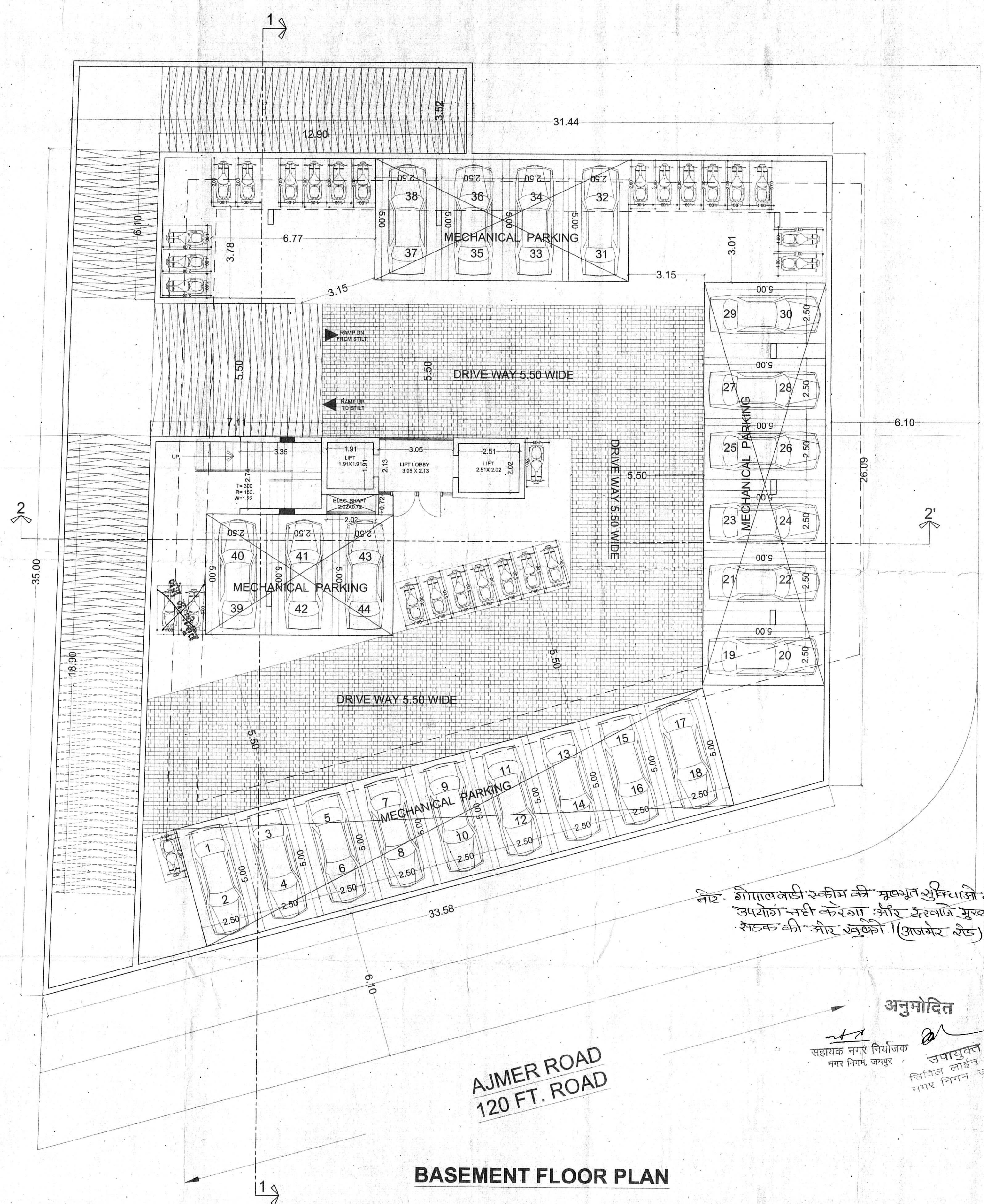
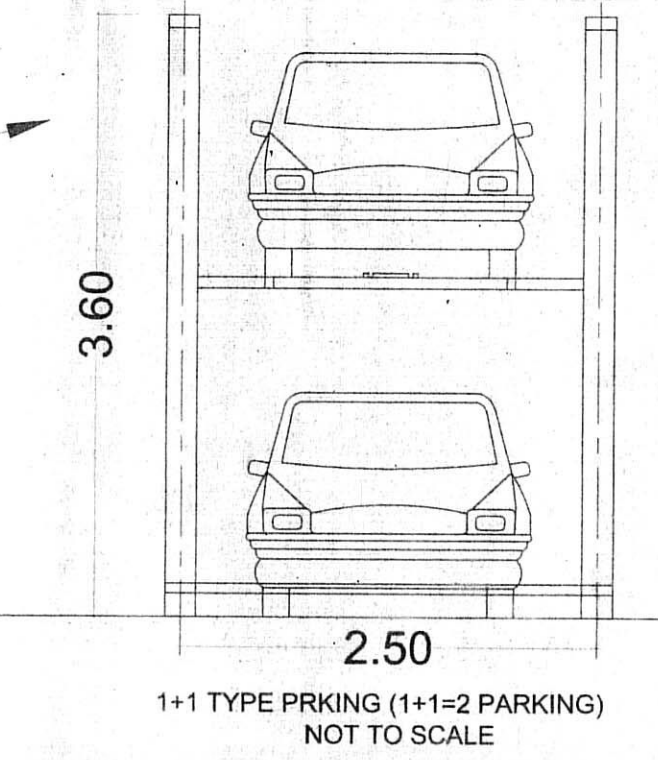
RAILING

RAILING

RAILING



STILT FLOOR PLAN



BASEMENT FLOOR PLAN

मैमल आवासिय
उपयोग हेतु स्वीकृत

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रस्तावित भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण—एक गृह माना जाएगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार भी प्रभावित होंगे।

जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का है होगा।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UP TO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the meeting dt.....

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Fire N. O. C. issued Wide letter No. 374.....dt. 12/12/17

N. O. C. issued Wide letter No.dt. 18/02/17

40'-0" WIDE GOPALBARI

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

गिराव बेरा, नवकार एव वन, नव निवास सेम नगर निहिलि कांड बांड इधिया के उपरवां अनुसर होंगे।

वारीयक रूप से व्यक्तियों के लिए निवेन बुविवा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

नोर सर्वा से पानी नरम करनी का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

गर्लिक सेन का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

यह मानचित्र पत्र क्र. 2935
दि 6/12/2017 के द्वारा जारी किये गये।

SUBMISSION DRAWINGS

STILT FLOOR PLAN
BASEMENT FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH

PROJECT:-
PROPOSED Residential Plot No. A-91 & 92 PART-02
GOPALBARI, KICHME, AJMER ROAD, JAIPUR

ARCHITECT:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO. A-91 & 92 PART-02, KICHME, AJMER ROAD, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91 962034141, 9141 284414
www.graphitedesignstudio.com

OWNER ARCHITECTS

अनुमोदित
सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
उपायुक्त
सिविल लाईन जोन
नगर निगम, जयपुर

R. Shek
R. Shek
R. Shek

केवल आवासिय
उपयोग हेतु स्वीकृत

इस मानचित्र को अनुमोदन किसी भी भांति
प्रचलित नहीं किया जायेगा और न ही
इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार
ही प्रभावित होंगे।

जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में
दर्शाये गये बतन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ती
का ही होगा।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in
Compliance of the decision taken
by B.P.C. in the meeting dt.....

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per M.B.C.
Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

Fire N. O. C. issued Wide
letter No. 274 dt. 01.12.17

Fire N. O. C. issued Wide
letter No. 10.02.17

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

विद्युत सेवा, मलकारी एवं जल, मल निकास से तट,
नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के
अनुसार होंगे।

वार्षिक रूप से व्यक्तियों के लिए विनोद सुविधा
का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।

होर उर्जा से पानी गरम करने का
निवधानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

यह मानचित्र पत्र क्र. 2995
दि 6/12/2017 के द्वारा जारी किये गये।

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

उपायुक्त
सिविल लाइन जॉन
नगर निगम, जयपुर

1st TO 8th FLOOR PLAN
(TYPICAL FLOOR PLAN)

नोट - गोपालबदी स्कीम की सुलभता सुविधाओं
का उपयोग नहीं करेगा और देखाये मुख्य
सड़क की ओर खुलेंगे। (अनमोद शिख)

9TH. FLOOR PLAN

SUBMISSION DRAWINGS

2nd TO 8th FLOOR PLAN
(TYPICAL FLOOR PLAN)
9TH. FLOOR PLAN
TERRACE PLAN

SCALE:- 1= 100



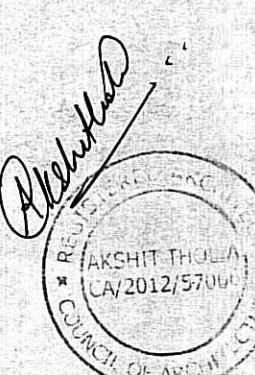
PROJECT:-
PROPOSED Residential Flats Plan @
PLOT NO. B-92A & B92 PART (B-92) IN
GOPALBADI SCHEME, AJMER ROAD, JAIPUR

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
CONTACT NO. +91-982034414, 0141-259414
email: akshat@graphitedesignstudio.com

OWNER

ARCHITECTS

R. Shree



केवल आवासिय
उपयोग हेतु स्वीकृत

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भौतिक प्रमाणित प्रति/प्रमाणित के प्रति स्वागत का प्रमाण-पत्र नहीं माना जाएगा और न ही इसमें किसी के स्वागत संबंधी अधिकार की प्रमाणित होगी।

जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the meeting dt.....

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Fire N. O. C. issued Wide letter No. 374 dt. 04/12/17

Fire N. O. C. issued Wide letter No. dt. 18/02/17

SIXTH FLOOR LVL (+) 18.40 M

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

फिर न चेरा, नलकारी एवं अन, प्रल निकास सेवाएं, मेकानिकल सिस्टम कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अधीन होंगे।

FOURTH FLOOR LVL (+) 12.60 M

सार्वजनिक रूप से वाहनों के लिए निवेश सुविधा का प्रावधान नियमावली के अनुसार किया जाये।

THIRD FLOOR LVL (+) 9.70 M

सौर ऊर्जा के पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

SECOND FLOOR LVL (+) 6.80 M

FIRST FLOOR LVL (+) 3.90 M

GROUND LVL (+) 0.50 M

DRIVEWAY LVL (+) 0.38 M

ROAD LVL (+) 0.00 M

BASEMENT FLOOR LVL (-) 3.84 M

यह मानचित्र पत्र क्र. 2995 दि. 6/12/2017 के द्वारा जारी किये गये।

SECTION AT "1"- "1"

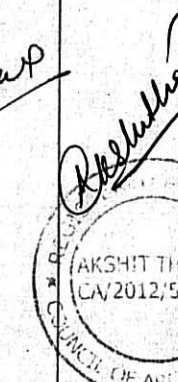
SECTION AT "2"- "2"

नोट- निम्नलिखित स्वीकृति केवल आवासिय उपयोग हेतु है।
इस मानचित्र का उपयोग किसी भी भौतिक प्रमाणित प्रति/प्रमाणित के प्रति स्वागत का प्रमाण-पत्र नहीं माना जाएगा और न ही इसमें किसी के स्वागत संबंधी अधिकार की प्रमाणित होगी।

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

उपायुक्त
सिविल लाइन जॉन
नगर निगम, जयपुर



केवल आवासिय
उपयोग हेतु स्वीकृत

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भूमि
प्रश्नगत नहीं है, बल्कि केवल स्थापित का
प्रमाण-पत्र प्रदान करने का और न ही
इसमें किसी भी स्थानीय सचिवालय अधिकार
की प्रमाणित होगी।

जारी किए गये अनुमोदित मानचित्रों से
दस्तावेज नए भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी
का ही होगा।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UP TO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in
Compliance of the decision taken
by B.P.C. in the meeting dt.....

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

Fire N. O. C. issued Wide
letter No. 374.....dt. 04.12.17

N. O. C. issued Wide
letter No.dt. 04.12.17

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

गिरावू केवल नगरपाले एके बत. सब नियम केमत,
मेचरी विहित करि अधिक विवेक के उपरान्त के
अनुसार होगा।

पारदर्शित कर के कानिनी के विरुद्ध विवेक सुविधा
का प्रमाणित नियमावली के अनुसार होगा।

और कानिनी के नतीजा करी का
विशेषाधिकार का प्रमाणित होगा।

पारदर्शित कर का उपयोग केमत
पारदर्शित हेतु होगा।

यह मानचित्र पत्र क्र. 2995
के 6/12/2017 के द्वारा जारी किया गया।

अनुमोदित

सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम, जयपुर

उपायुक्त
नगर निगम, जयपुर

नोट - गोपालबदी स्कीम की अनुमोदित
अनुमोदित का उपयोग नहीं
करेगा और दरवाजा मुख्य
सड़क की ओर खुलना (अनुमोदित)

SOUTH SIDE ELEVATION

EAST SIDE ELEVATION

NORTH SIDE ELEVATION

WEST SIDE ELEVATION

SUBMISSION DRAWINGS

SOUTH SIDE ELEVATION
EAST SIDE ELEVATION
NORTH SIDE ELEVATION
WEST SIDE ELEVATION

SCALE:- 1= 100



PROJECT:-

PROPOSED Residential Flats Plan @
PLOT NO B-52A & B-52 PART B-52 IN
GOPALBADI SCHEME AJMER ROAD JAIPUR

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO B-52, JANK PUSHA, JAIPUR
CONTACT NO. - 91-968334414, 0141-2984414
email: ash@graphitedesignstudio.com

OWNER

ARCHITECTS

R. Shari

